

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]
No. 53]

दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2008/चैत्र 13, 1930
DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2008/CHAITRA 13, 1930

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 002
[N.C.T.D. No. 002

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
विकास विभाग

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सं. फा. 56(333)/07/वि.मु./3594.—इस सरकार की दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या फा. 54(56)/98/वि. मु./3993 के अधिक्रमण में तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खण्ड (क्यू) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विकास विभाग के बागवानी विशेषज्ञ श्री देवेन्द्र कुमार मलिक को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd April, 2008

No. F. 56(333)/07/Dev. HQ/3594.—In supersession of this Government's notification No. F. 54(56)/98/Dev. HQ/3993 dated 31st October, 2003 and in exercise of powers conferred by Section 12 read with clause (q) of Section 3 of the Insecticide Act, 1968 (46 of 1968), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. Devender Kumar Malik, Horticulturist of Development Department, to be the Licensing Officer for the whole area of the National Capital Territory of Delhi.